सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2017–18

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2017–18

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का उद्‌देश्य	1
3	संरचना	1—2
4	बजट प्रावधान एवं व्यय	2
5	कार्य प्रणाली	2—4
6	कार्मिकों का चयन	3—4
7	मुखबिरों / सूचनादाताओं एवं निदेशालय में पदस्थापित राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजना	4
8	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान	4—5
9	वित्तीय वर्ष 2017—18 के कार्यों का विश्लेषणात्मक विवरण	5—6
10	तुलनात्मक विवरण	7
11	आलोच्य वर्ष की विशेष उपलब्धियाँ एवं पहल	7—8
12	सार संक्षेप	9
13	प्रशासनिक संरचना (सारणी—1)	10
14	पदों की स्थिति दिनांक 31.12.2017 तक (सारणी—2)	11
15	निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों के दूरभाष नंबर (सारणी—3)	12

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–18

1. *प्रस्तावना*

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 के बजट भाषण में भारत सरकार की तर्ज पर राज्य में राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण कर, उसे रोकने के लिए वित्त विभाग के अधीन राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय (State Directorate of Revenue Intelligence) स्थापित करने की घोषणा की गई थी। निदेशालय का गठन राजस्व के समस्त स्त्रोतों (Sources) पर निगरानी रखने तथा कर अपवंचना (Tax Evasion) को रोकने हेतु किया गया है। निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा विधायी शक्तियाँ भी प्रदत्त की गई हैं।

2. *उद्‌देश्य*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का गठन राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव को रोकने के उद्‌देश्य से किया गया है। निदेशालय का गठन मुख्यतया राज्य सरकार के राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर इन सूचनाओं का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, विभिन्न विभागों के मध्य पारस्परिक समन्वय के अभाव में हो रहे कर के रिसाव को रोकना, अन्तर्राजीय व्यापार में कर वंचना को रोकने के संबंध में सुझाव देना है, वहीं आम जनता के माध्यम से प्राप्त कर अपवंचना की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर आम जनता में विश्वास उत्पन्न करना भी है। वर्तमान में निदेशालय द्वारा राजस्व अर्जन करने वाले 5 विभागों वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, खनन तथा पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क विभाग में हो रही कर वंचना की सूचनाओं/शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है।

3. *संरचना*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय के विभागाध्यक्ष का पदनाम महानिदेशक, राज्य राजस्व आसचूना निदेशालय है जो वर्तमान में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में निदेशालय में 2 पद अतिरिक्त निदेशक, क्रमशः राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारियों के हैं। इसके अतिरिक्त निदेशालय में दो–दो पद क्रमशः वाणिज्यिक कर अधिकारी, खनि अभियन्ता, जिला आबकारी अधिकारी, तहसीलदार, मोटर वाहन निरीक्षक, मोटर वाहन उपनिरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, निजी सहायक एवं सूचना सहायक के हैं। तीन–तीन पद सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कनि. वाणिज्यिक कर अधिकारी, निरीक्षक सहकारिता एवं राजस्व आसूचना अधिकारी (अन्य सेवा) के हैं। एक–एक पद वित्तीय सलाहकार, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उपविधि परामर्शी, एनालिस्ट कम प्रोगामर, सहायक निदेशक (सांख्यिकी), प्रोगामर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– II, निजी सचिव, सहायक खनि अभियन्ता, फोरमेन, खनिज सर्वेयर, खनिज रक्षक, सहायक कार्यालय अधीक्षक, निरीक्षक भू–अभिलेख, क्लर्क ग्रेड– I एवं पटवारी का है।

कर सहायक के 5, क्लर्क ग्रेड– II के 2, वाहन चालक के 3 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 6 पद भी सृजित है।

निदेशालय में पदस्थापित वाणिज्यिक/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, संयुक्त परिवहन आयुक्त, खनिज अभियन्ता, जिला आबकारी अधिकारी एवं तहसीलदार का पदनाम राजस्व आसूचना अधिकारी है। निदेशालय का संगठन चार्ट एवं निदेशालय में स्वीकृत पदों का विवरण क्रमशः सारणी–1 एवं 2 में दर्शाया गया है।

4. बजट प्रावधान एवं व्यय

विभाग में केन्द्र प्रवर्तित मद में कोई बजट प्रावधान नहीं है। विभाग में मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यय किया जाता है। गैर आयोजना मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि रू. 255.15 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्व माह दिसम्बर, 2017 तक राशि रू. 172.55 लाख का व्यय किया गया। आयोजना मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि रू. 5.00 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2017 तक राशि रू. 0.00 लाख (शून्य) का व्यय किया गया।

5. कार्य प्रणाली

निदेशालय को प्रभावी बनाने एवं प्राप्त सूचनाओं का त्वरित निस्तारण कर निदेशालय की आमजन में विश्वसनीयता कायम करने की दृष्टि से निदेशालय में प्राप्त सभी सूचनाओं/शिकायतों का पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण करने का प्रयास किया गया है। निदेशालय द्वारा स्वप्रेरणा से की जा रही जांच कार्यवाही के अतिरिक्त, प्राप्त अन्य सूचनाओं/शिकायतों के संबंध में अपनायी जाने वाली मानक परिचालन पद्धति (Standard Operation Procedure) निर्धारित की गई है। चूंकि निदेशालय में अधिकांश सूचनाऐं एवं शिकायतें आमजन से अपेक्षित हैं, अतः इसे दृष्टिगत् रखते हुऐ निदेशालय में प्राप्त इन सूचनाओं एवं शिकायतों को पब्लिक इन्फोरमेशन ऑन रेवेन्यू इन्टेलीजेंस (PIR) का नाम दिया गया है।

निदेशालय को कोई भी व्यक्ति डाक, दस्ती, मोबाईल फोन, निदेशालय की वेब साईट www.sdri.rajasthan.gov.in पर ऑन–लाईन, निदेशालय की ई–मेल आई. डी sdri@rajasthan.gov.in पर अथवा निदेशालय के टोल फ्री नम्बर 18001806292 के माध्यम से सूचना दे सकता है। आमजन को निदेशालय के कार्यों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिये निदेशालय द्वारा समय–समय पर राज्य स्तरीय हिन्दी दैनिक अखबारों में विज्ञापन भी प्रकाशित करवाये जाते हैं, जिनका परिणाम सकारात्मक रहा है, तथा इससे निदेशालय को आमजन के माध्यम से काफी संख्या में कर अपवंचना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचनाऐं निरंतर प्राप्त हो रही है।

निदेशालय को प्राप्त सूचनाओं/शिकायतों को सर्वप्रथम पी.आई.आर. के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक दर्ज पी.आई.आर. को एक विशिष्ट आई.डी क्रमांक आवंटित किया जाता है। सामान्यतः पी.आई.आर. प्राप्ति तिथि को ही निदेशालय की वेब साईट www.sdri.rajasthan.gov.in पर अपडेट कर दी जाती है। प्रत्येक पी.आई.आर. का पृथक विशिष्ट आई.डी क्रमांक कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा सृजित किया जाता है। इस प्रकार सृजित पी.

आई.आर. के आई.डी क्रमांक की जानकारी सूचनादाता को भी दी जाती है। दर्ज की गई पी. आई.आर. का वर्गीकरण सामान्य अथवा महत्त्वपूर्ण श्रेणी में निदेशालय के स्तर पर किया जाता है। कुछ पी.आई.आर. जो अति विशिष्ट प्रकृति की होती हैं, उनमें निदेशालय अपने स्तर पर विस्तृत जॉच की कार्यवाही करता है। शेष पी.आई.आर. संबन्धित विभागों में इस कार्य हेतु अधिकृत किये गये विभागीय नोडल अधिकारी को ऑनलाईन भिजवा दी जाती है। तत्पश्चात् विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा समय–समय पर की गई कार्यवाही की सूचना कम्प्यूटर पर ऑनलाईन ही निदेशालय को भिजवाई जाती है।

उल्लेखनीय है कि राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा वाणिज्यिक कर, परिवहन, खनन, आबकारी तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में इन विभागों द्वारा अधिकृत विभागीय नोडल अधिकारियों को निदेशालय की वेब साईट प्रयोग हेतु पृथक–पृथक यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध करवाये गये हैं, ताकि वे उन्हें प्रेषित की गई पी.आई.आर. पर आवश्यक कार्यवाही कर सकें, तथा की गई विभागीय कार्यवाही से राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय की वेब साईट को नियमित रूप से अपडेट कर सकें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित कर लम्बित पी.आई.आर. का पर्यवेक्षण एवं इसके निस्तारण पर भी चर्चा की जाती हैं। सूचनादाता भी उसे आवंटित पी.आई.आर. आई. डी क्रमांक के आधार पर उसके द्वारा दी गई सूचना पर हुई कार्रवाई में स्टेटस की जानकारी निदेशालय की वेब साईट को लॉगईन करके देख सकता है।

निदेशालय के कार्य को अधिक प्रभावी बनाने तथा राज्य एवं केन्द्रीय संगठनों में सूचनाओं के बेहतर आदान–प्रदान को सुनिश्चित करने हेतु इन्टीग्रेटेड आई.टी. प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था। उच्च स्तरीय विभागीय PeMT की बैठक में आई.टी. परियोजना के लिये समस्त राजस्व विभागों का एनेलिटिकल सिस्टम का डाटाबेस/एक्सेस प्राप्त होने तक स्थगित करते हुए, निदेशालय से संबंधित राजस्व विभागों में B.I. Tools Analysis के क्रियान्वयन के पश्चात् प्राप्त अनुभव तथा उपलब्ध डाटाबेस के आधार पर आपस में लिंकिंग व एकीकरण का कार्य फेज–2 में किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में वर्तमान में उपयोग में लिये जा रहे PIR Tracking & Monitoring System Module के पुरानी तकनीक से निर्मित होने के कारण एवं प्राप्त कई नई आवश्यकताओं को इसमे सम्मिलित किये जाते हुए तथा security audit के परिप्रेक्ष्य में Safe to host कराते हुए निदेशालय की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार upgradation एवं Centralised Web Portal बनाते हुए safe to host (Security audit) का कार्य RISL के माध्यम से प्रक्रियाधीन है।

6. कार्मिकों का चयन

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय राजस्व विभागों में हो रही कर अपवंचना से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचनाओं के आधार पर कार्य करता है, इसलिए निदेशालय में अनुभवी, दक्ष एवं कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को पदस्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये विशेष चयन व सेवा की विशेष शर्तें), नियम 2010 बनाये गये हैं। निदेशालय में वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, खान एवं भू–विज्ञान विभाग,

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, विधि सेवा के अधिकारी एवं इसके अतिरिक्त तहसीलदार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड़–II, प्रोग्रामर, सूचना सहायक, निजी सचिव एवं निजी सहायक के पदों पर इन नियमों के तहत विशेष चयन अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से चयनित व्यक्तियों को निदेशालय में कार्यरत अवधि में उनके मूल वेतन के 15% की राशि का विशेष भत्ता भी देय है। निदेशालय में गठित अधिकांश पदों पर अधिकारियों का चयन इन नियमों के तहत किया गया है।

7. मुखबिरों/सूचनादाताओं एवं निदेशालय में पदस्थापित राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजना

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में कर अपवंचना की सूचनाऐं प्राप्त करने के लिये, आमजन को कर अपवंचना की सूचना देने के लिये प्रोत्साहित करने एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये एक स्कीम "Grant of Reward to Informer and Government Servants Scheme, 2017" बनाई गई है। इस योजना के तहत सूचना देने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करवाई गई सूचना के महत्व के आधार पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि सूचनादाता की सूचना के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को प्राप्त अविवादित राजस्व राशि का 8 प्रतिशत तक एवं विशेष मामलों में 12 प्रतिशत तक अथवा प्रति प्रकरण अधिकतम 25.00 लाख रू. तक जो भी कम है निर्धारित की गई है। यह राशि उन प्रकरणों में ही देय है जहाँ राज्य सरकार को प्राप्त अविवादित राजस्व की राशि रू. 2.00 लाख या इससे अधिक होगी। स्कीम में यह भी प्रावधान किया गया है कि सूचनादाता की पहचान गुप्त रखी जायेगी।

इस स्कीम के तहत् राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह प्रोत्साहन राशि उन राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को देय होगी, जिनका राजस्व वंचना के प्रकरणों को उजागर करने में विशिष्ट योगदान होगा एवं इस तरह के प्रकरणों में अविवादास्पद राजस्व प्राप्ति एक करोड रू. या अधिक होगी। व्यक्तिशः यह राशि एक प्रकरण में अधिकतम रू. 50,000/– एवं टीम के रूप में कार्य करने पर टीम को अधिकतम प्रति प्रकरण रू. 2.00 लाख तक होगी। इस प्रकार से दी गई राशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम रू. 10.00 लाख तक सीमित की गई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में निदेशालय द्वारा दिसम्बर, 2017 तक सूचनादाताओं को राशि रू. 8.85 लाख की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा करापवंचना के संबध में स्वप्रेरणा से अथवा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचनाओं के आधार पर जाँच का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूचनाओं का संप्रेषण आमजन के माध्यम से भी होता है। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप–धारा (4) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुक के प्रावधानों में वर्णित सूचनाओं के अतिरिक्त

अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत देय सूचनाओं से मुक्त किया गया है। निदेशालय द्वारा की गई जाँच को एवं सूचनादाताओं की पहचान को गोपनीय रखने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 24 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को आसूचना और सुरक्षा संगठन के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

9. राज्य राजस्व वित्तीय वर्ष 2017–18 के कार्यों का विश्लेषणात्मक विवरण

वित्तीय वर्ष 2016–17 (दिनांक 1.04.2016 से 31.03.2017) में 110 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 28 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रू. 253.01 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 16.64 करोड़ की राजस्व वसूली की गई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिनांक 1.04.2017 से 31.12.2017) में 130 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 38 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रू. 1764.74 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 110.92 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 (दिनांक 1.04.2016 से 31.03.2017) में 276 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं 204 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रू. 75.75 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 7.62 करोड़ की राजस्व वसूली(समायोजन सहित) की गई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिनांक 1.04.2017 से 31.12.2017) में 109 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं 105 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रू. 55.50 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 35.36 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2016–17 (दिनांक 1.04.2016 से 31.03.2017) एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिनांक 1.04.2017 से 31.12.2017 तक) में दर्ज एवं निस्तारित पी.आई.आर., स्वप्रेरित प्रकरण एवं समग्र (पीआईआर एवं स्वप्रेरित) प्रकरणों का विवरण एवं इनसे प्राप्त राजस्व राशि का विवरण आगे तालिका में दर्शित किया गया है–

(राशि रू लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	1.04.2016 से 31.03.2017 तक दर्ज पी.आई.आर का विवरण						1.04.2017 से 31.12.2017 तक दर्ज पी.आई.आर का विवरण					
		1.04.2016 को शेष पीआईआर की संख्या	दर्ज पी. आई.आर. की संख्या	निस्तारित पी.आई.आर. की संख्या	शेष पी.आई. आर. की संख्या	आरोपित राशि	वसूली गई राशि (समायोजन सहित)	1.04.2017 को शेष पीआईआर की संख्या	दर्ज पी. आई.आर. की संख्या	निस्तारित पी.आई.आर. की संख्या	शेष पी.आई. आर. की संख्या	आरोपित राशि	वसूली गई राशि (समायोजन सहित)
1	वाणिज्यिक कर विभाग	197	98	127	168	2781.87	595.43	168	40	68	140	5076.59	3273.22
2	परिवहन विभाग	26	4	10	20	8.79	8.79	20	13	2	31	1.27	1.27
3	आबकारी विभाग	9	13	16	6	0.00	0.00	6	6	6	6	0.15	0.15
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	105	121	21	205	529.09	38.49	205	39	20	224	334.67	123.31
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	74	36	22	88	4255.71	120.03	88	11	9	90	138.04	139.04
6	अन्य	5	4	8	1	0.00	0.00	1	0	0	1	0.00	0.00
कुल		**416**	**276**	**204**	**488**	**7575.46**	**762.74**	**488**	**109**	**105**	**492**	**5550.72**	**3536.99**
		1.04.2016 से 31.03.2017 तक दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों का विवरण						**1.04.2017 से 31.12.2017 तक दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों का विवरण**					
1	वाणिज्यिक कर विभाग	69	25	6	88	24513.38	863.61	88	54	6	136	175806.98	10703.68
2	परिवहन विभाग	6	12	3	15	20.63	59.32	15	12	3	24	122.50	99.35
3	आबकारी विभाग	1	1	0	2	0.00	143.18	2	1	0	3	0.00	106.34
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	139	57	18	178	766.91	598.85	178	63	29	212	535.80	173.65
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	21	15	1	35	0.16	0.00	35	0	0	35	9.30	9.30
6	अन्य	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
कुल		**236**	**110**	**28**	**318**	**25301.08**	**1664.96**	**318**	**130**	**38**	**410**	**176474.60**	**11092.32**
समस्त विभाग (पी.आई.आर.+ स्वप्रेरित)		**652**	**386**	**232**	**806**	**32876.54**	**2427.70**	**806**	**239**	**143**	**902**	**182025.30**	**14629.31**

10. तुलनात्मक विवरण

निदेशालय मे वित्तीय वर्ष 2016–17 (दिनांक 1.04.2016 से 31.03.2017 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिनांक 1.04.2017 से 31.12.2017 तक) क्रमशः 110 एवं 130 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं इस दौरान राशि क्रमशः रू. 253.01 करोड़ तथा रू. 1764. 74 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि क्रमशः रू. 16.64 करोड़ तथा रू. 110.92 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 (दिनांक 1.04.2016 से 31.03.2017 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिनांक 1.04.2017 से 31.12.2017 तक) क्रमशः 276 एवं 109 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं इस दौरान राशि क्रमशः रू. 75.75 करोड़ तथा रू. 55.50 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि क्रमशः रू. 7.62 करोड़ तथा रू. 35.36 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

समग्र रूप में निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2016–17 में (01.04.2016 से 31.03.2017 तक) कुल 386 प्रकरण (स्वः प्रेरित एवं सूचनादाता से प्राप्त) दर्ज कर रू. 328.76 करोड़ की मांग कायम की जाकर रू. 24.26 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई। गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017–18 में (01.04.2017 से 31.12.2017 तक) कुल 239 प्रकरण (स्वः प्रेरित एवं सूचनादाता से प्राप्त) दर्ज कर रू. 1820.25 करोड़ की मांग कायम की जाकर रू. 146.29 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई। आलोच्य अवधि में 143 प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया।

11. आलोच्य वर्ष की विशेष उपलब्धियाँ एवं पहल

आलोच्य वित्तीय वर्ष में निदेशालय में सूचनादाताओं के लिए पुरानी रिवार्ड स्कीम के स्थान पर नवीन रिवार्ड स्कीम लागू की गई है।

वाणिज्यिक कर विभाग

राज्य के बाहर से आयातित चीनी पर प्रवेश कर अपवंचना संबंधित प्रकरण बनाया गया। इस प्रकरण में गत पांच वर्षो में लगभग 1300 करोड़ रूपये की राशि पर करारोपण किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

वाणिज्यिक कर विभाग एवं खनन एवं भू–गर्भ विभाग में प्रस्तुत आंकडों में विसंगति पाये जाने पर 58.94 करोड़ की राशि पर करारोपण किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

खनन कार्यो में प्रयुक्त प्रवेश कर अधिसूचित वाहनों का राज्य के बाहर से क्रय किये जाने पर नियमानुसार प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया जाने पर 28.02 करोड़ की राशि पर करारोपण किया जाना प्रस्तावित किया गया।

परिवहन विभाग

राज्य के ऐसे 300 लग्जरी वाहनों को चिन्हित किया गया जो अन्य राज्य में पंजीकृत थे, किन्तु लम्बे समय से राज्य में उपयोग लिये जा रहे थे। इन वाहनों के संबंध में एक बारीय पथ कर (ONE TIME ROAD TAX) के प्रकरण बनाये गये तथा 29 वाहनों को सीज किया गया।

राज्य की 7 कम्पनियों द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों में खनन कार्य एवं सड़क निर्माण कार्यों मे उपयोग लिये जा रहे अन्य राज्यों में पंजीकृत/अपंजीकृत वाहन जिनका राज्य में पंजीकरण अथवा एक बारीय पथ कर के दायित्व से संबंधित करापवंचना के प्रकरण बनाये गये।

NBFC कम्पनी के विरूद्ध एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण बनाया गया जिसमें 216 व्यवसायिक वाहन बिना पथ कर भुगतान के कम्पनी परिसर में खडे पाये गये उनके विरूद्ध करापवंचना संबंधी प्रकरण बनाये जाकर कार्यवाही की गई।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

अनुसूचित बैंको द्वारा राज्य के 7 प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को दिये गये ऋण के तहत इन्टर बैंक लॉन एग्रीमेन्ट, कन्सोर्टियम एग्रीमेन्ट आदि पर लगभग 113.83 करोड़ की राशि का मुद्रांक शुल्क अपवंचन के प्रकरण बनाये गये।

राज्य के प्रमुख लीड बैंक का प्रमुख भारतीय बैंक में मर्जर एवं दो महत्त्वपूर्ण कम्पनियों के विलयीकरण पर देय स्टाम्प शुल्क अपवंचना के दो प्रकरण बनाये गये जिस पर राजस्व प्राप्त होने की प्रबल संभावना है।

इसी प्रकार नेटवर्क सेवा प्रदाता कम्पनियों के आपस में विलयीकरण पर राजस्थान में मुद्रांक शुल्क के रूप में देय 25 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर करापवंचना का प्रकरण बनाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को भिजवाया गया।

खान एवं भू–विज्ञान विभाग

उत्तर पश्चिम रेलवे संगठन द्वारा विभिन्न वर्षों मे रेल मार्ग निर्माण मे लिये गये खनिज ब्लास्ट की आपूर्ति मे की गई रायॅल्टी अपवचंना के तीन प्रकरण बनाये गये। राजस्थान राज्य में स्थापित सीमेंट प्लांटों द्वारा सीमेंट के निर्माण मे उपयोग मे लिये जाने वाले खनिज जिप्सम एवं लाईम स्टोन की रायॅल्टी (राजस्व) हानि के चार प्रकरण बनाये गये एवं विभिन्न शिकायतों के आधार पर 11 प्रकरण दर्ज किये गये जिसमें राजस्व प्राप्ति की संभावना है।

आबकारी विभाग

गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग से सम्बंधित दर्ज दो पी.आई.आर. प्रकरणों मे कार्यवाही के अन्तर्गत अन्य राज्यों में बिक्री योग्य भण्डारण की गई लगभग 3017 कार्टन अवैध शराब बरामद करवाई गई।

उल्लेखनीय कार्य

एसडीआरआई द्वारा प्रथम बार एफआईयू (FIU-IND) से सूचनाओं का आदान–प्रदान किया गया।

REIC के प्लेटफॉर्म पर आयकर विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग, इत्यादि द्वारा सूचनाओं के आदान–प्रदान के माध्यम से पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा वाणिज्यिक विभाग से संबंधित करापवंचना के प्रकरण निदेशालय द्वारा बनाये गये।

प्रथम बार Prohibition of Benami Property Transaction Act, 1988 से संबंधित सूचना आयकर विभाग से साझा की गई। परिणामस्वरूप आयकर विभाग द्वारा प्रकरण को दर्ज कर कार्यवाही आरम्भ की गई।

राजस्थान राज्य में ओवरलोडिंग की समस्या, वर्तमान स्थिति, समाधान एवं अवैध शराब के परिवहन पर रोक हेतु प्रतिवेदन तैयार कर उच्च स्तर पर निर्णय एवं कार्यवाही हेतु भिजवाया गया।

अन्य राज्यों से वाणिज्यिक कर विभाग का डेटा प्राप्त किया गया। उनका उपयोग SAS Team के साथ किया जा रहा है तथा करापवंचना से संबंधित प्रकरण बनाये गये।

निदेशालय के अधिकारियों द्वारा अन्य राज्यों के कई विभागों से भी विश्लेषण हेतु आंकड़े आदि प्राप्त किये जाने हेतु अन्य राज्यों की यात्राऐं आदि भी की जाती हैं।

हाल ही में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा पाण्डिचेरी जाकर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से सम्बंधित प्रावधानों का अध्ययन किया गया एवं विभिन्न सूचनाऐं प्राप्त की गईं।

12. *सार संक्षेप*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण कर उसे रोकने तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि करने हेतु महत्ती भूमिका सम्पादित कर रहा है एवं इसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय

सारणी–1

प्रशासनिक संरचना

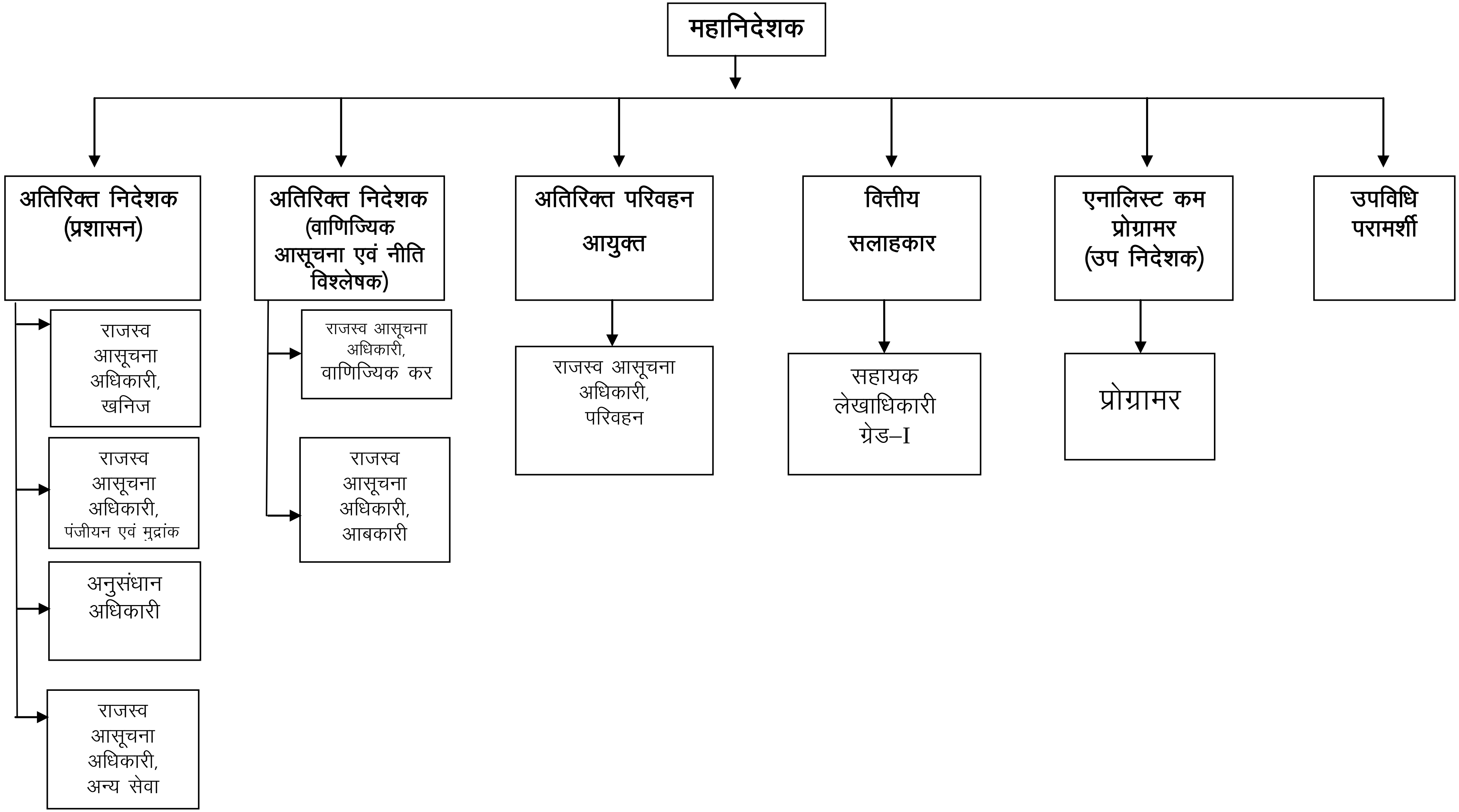

सारणी – 2

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना का विवरण दिनांक 31.12.2017 तक की स्थिति

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	महानिदेशक	1	1	-
2.	अतिरिक्त निदेशक, आर.ए.एस.	1	-	1
3.	वित्तीय सलाहकार	1	-	1
4.	अतिरिक्त निदेशक, (वाणिज्यिक कर)	1	1	-
5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	2	2	-
6.	सहा.वाणिज्यिक कर अधिकारी	3	1	2
7.	कनि.वाणिज्यिक कर अधिकारी	3	1	2
8.	कर सहायक	5	2	3
9.	अतिरिक्त आयुक्त, परिवहन	1	-	1
10.	संयुक्त परिवहन आयुक्त	1	-	1
11.	मोटर वाहन निरीक्षक	2	1	1
12.	मोटर वाहन उपनिरीक्षक	2	2	-
13.	जिला आबकारी अधिकारी	2	1	1
14.	आबकारी निरीक्षक	2	-	2
15.	खनि अभियन्ता	2	-	2
16.	सहायक खनि अभियन्ता	1	-	1
17.	माइनिंग सर्वेयर	1	-	1
18.	फोरमेन	1	-	1
19.	खनिज रक्षक	1	-	1
20.	तहसीलदार	2	-	2
21.	निरीक्षक भू–अभिलेख	1	1	-
22.	पटवारी	1	1	-
23.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	1	1	-
24.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	1	1	-
25.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	-
26.	प्रोगामर	1	1	-
27.	सूचना सहायक	2	2	-
28.	निजी सचिव	1	-	1
29.	निजी सहायक	2	1	1
30.	अनुसंधान अधिकारी	1	1	-
31.	उपविधि परामर्शी	1	-	1
32.	निरीक्षक सहकारिता	3	-	3
33.	सहा. कार्यालय अधीक्षक	1	-	1
34.	क्लर्क ग्रेड–I	1	1	-
35.	क्लर्क ग्रेड–II	2	1	1
36.	वाहन चालक	3	3	-
37.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	-	6
38.	राजस्व आसूचना अधि. (अन्य सेवा)	3	1	2
	कुल योग	**67**	**28**	**39**

सारणी – 3

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर

क्र.सं	नाम अधिकारी /कर्मचारी	पद	टेलीफोन नम्बर		
			ऑफिस	घर	मोबाईल नं.
1.	श्री संजीव (आई.आर..एस.)	महानिदेशक	2744781	2744755	9530401000
2.	श्रीमती रश्मि गुप्ता (आर.ए.एस.)	अति. निदेशक (प्रशासन)	2740889	2761315	9414373149
3.	श्री चेतराम जाटव	अति. निदेशक, कर	2744841		9587865267
4.	श्री सुभाष दानोदिया	वित्तीय सलाहकार	2744234	2421387	9413344160
5.	श्री ओ. पी. बंसल	ए.सी.पी.			9413387321
6.	श्री राम गोपाल गुप्ता	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)	2744781	2981080	9116020253
7.	श्री राजेश असवाल	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)		2235404	9414349414
8.	श्री मुकेश वर्मा	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)		2504378	9636598994
9.	श्री संजीव गुप्ता	आर.आई.ओ. (अन्य)			8003099901
10.	श्री जयनारायण	आर.आई.ओ. (आबकारी)		0291–2731171	9414000643
11.	श्री राजीव लुहाड़िया	प्रोग्रामर		2400163	9983349805
12.	श्री मोहम्मद इरफान	अनुसंधान अधिकारी			9784806532
13.	श्री राकेश भारद्वाज	मोटर वाहन निरीक्षक			9782363860
14.	श्री दाताराम वर्मा	सहा. लेखाधिकारी ग्रेड–II			9461047397

PABX - 2744963/ Toll Free No. 1800 180 6292
Fax No. 0141-2744841

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय
डी–ब्लॉक, भूतल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

ई मेल sdri@rajasthan.gov.in फैक्स नंबर 0141–2744841